

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

53

निगरानी 1040-दो/2007

जिला सतना

सुरेश प्रताप सिंह

विरुद्ध

रामेश्वर सिंह


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-6-2018	<p>आवेदक अभिभाषक श्री संतोष मिश्रा रत्नमाला एवं अनावेदक अभिभाषक प्रमोद मिश्रा के तर्क सुने। अनावेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अनावेदक कमांक 1 रामेश्वर सिंह व 2 अंकपति सिंह की मृत्यु हो गई है और उनका कोई सम्पर्क मृतक अनावेदकों के वारिसों ने नहीं है। आवेदक अभिभाषक से वारिसों के संबंध में काफी समय से जानकारी प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये परन्तु उनकी ओर से मृतक अनावेदकों के वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण वर्ष 2007 से अर्थात् लगभग 11 वर्षों से लंबित है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण <sup>(अग्रिम)</sup> अवैत की जाती है। पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>(आर0 के मिश्रा) सदस्य</p> <p>21/6/18</p>

52

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्र० 107

R 1040-II/07



- 1- सुरेशप्रताप सिंह
  - 2- अवधेश प्रतापसिंह । तनय महेश सिंह एवंश्रीमती महाराज कुमारी
  - 3- श्रीमती जानवती सिंह पुत्री महाराज कुमारी एवम महेश सिंह,
- सभी निवासी ग्राम बेला । क्वीरा । हाल मुकाम गोपकलखेड़ा तहसील पांढनलालगंज जिला छत्तनऊर उ०प्र० ----- आवेदक गण

क्रमांक RP5044  
जिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 19-6-07 को प्राप्त

बल्लक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वनाम

- 1- रामेश्वरसिंह ।
  - 2- अंकमाल सिंह ।
  - 3- भरतराजसिंह ।
  - 4- गंगेश्वरसिंह ।
- तनय तिलकराजसिंह सा० बेला । क्वीरा । तहसील  
रघुराजनगर जिलासतना म०प्र०

----- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्  
अपर कमिश्नररीवा संभाग रीवादि०  
2-3-07 बावत प्रकरण क्र० 328/ अपील/  
81-82

Presented by  
Advocate/Attorney  
सन्तोष मिश्र  
1/6/07

Supd  
Commissioner's Office  
Reva Division  
Gwalior, M.P.

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता  
सन 1959

प्रकरण के संक्षेप तथ्य

1। यहकि विवादित भूमि सखदेव सिंह की सम्पत्ति थी. उनके माने